न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात अपील वाद संख्या–06/2023

राजेन्द्र प्रसाद साव वगैरह

बनाम्

राज्य

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद साव, पिता–स्व0 रामधनी साव ग्राम–भटको, थाना–मनिका, जिला–लातेहार एवं सोन देवी पति–अजय कुमार, ग्राम–भटको, थाना–मनिका, जिला–लातेहार के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा–52 (ए) के तहत् प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के न्यायालय अधिहरण वाद संख्या–13/2020 में दिनांक 01.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन समर्पित किया गया है।

अपीलार्थीगण के अपील आवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि ट्रैक्टर चेसीस नं0–WYT-24419147227 इंजन नं0–33-1008/SWN05437 पर 100 CFT बोल्डर लदा हुआ था, जिसकी खुदाई संरक्षित वन कुटमू, प्लॉट नं0–278 से किया गया था। इस आरोप में निचली अदालन ने जप्ती की कार्यवाही प्रारम्भ कर दिनांक 01.11.2022 को आदेश पारित किया। पारित आदेश कोर्ट कानून और तथ्यों के विपरीत है। निचली अदालन ने अपीलकर्ता नं0–1 से वाहन के कागजात की मांग किया गया, जिसे जमा कर दिया गया था। कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीकर्ता नं0–2 ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19B-4358 का पंजीकृत मालिक है, लेकिन निचली अदालन ने उसे नोटिस निर्गत नहीं किया। साथ ही अपराध की कोशिश करने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को जप्ती की कार्यवाही शूरू करने के बारे में सूचना नहीं भेजी गयी है। वन क्षेत्र से पत्थर

contd -->

बोल्डर का उत्खन्न करने का आरोप पूरी तरह से गलत एवं मनगढ़न्त है। जांच अधिकारियों ने उत्खनित क्षेत्र की माप के बारे में वर्णन नहीं किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं अभिलेख में उपस्थित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन वाद के अभियुक्त द्वारा कुटमू सुरक्षित वन भूमि से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर जप्त ट्रैक्टर रजि0 नं0–JH19B-4358 से परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33(1)(बी) के तहत् एक दण्डनीय वन अपराध है। "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम –9 के आलोक में किसी भी भूमि से बिना सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन किया जाना नियम के विरूद्ध है और अपीलार्थीगण के द्वारा पत्थर बोल्डर का सक्षम प्राधिकार से निर्गत अनुज्ञा पत्र न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थीगण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.05.29 16:32:06 +05:30
Location: 10.93.47.5